

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 13, गुरुवार, शाके 1947- सितम्बर 04, 2025 <i>Bhadra 13, Thursday, Saka 1947- September 04, 2025</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2025

संख्या ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2025/डी-1858 :- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी योजना राजस्व ग्राम-हरमाडा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 240, 241, 242 व 232 क्षेत्रफल 16986.81 वर्गमीटर जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-11बी के अनुसार व्यवसायिक (सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा या प्रथम भूखण्ड गहराई तक जो भी कम हो) तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 20.07.2024 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निजी खातेदारी के राजस्व ग्राम-हरमाडा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 240, 241, 242 व 232 क्षेत्रफल 16986.81 वर्गमीटर जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-11बी के अनुसार व्यवसायिक (सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा या प्रथम भूखण्ड गहराई तक जो भी कम हो) तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार मिश्रित (व्यवसायिक 38 प्रतिशत + आवासीय 62 प्रतिशत) प्रयोजनार्थ किया जाता है। यह अधिसूचना आज दिनांक 18-08-2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,
सचिव।